न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्टस	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
1.अजसीराम पुत्र नेताजी फौत के कायम मुकाम:-		1.भूपेन्द्र (भूपा) पुत्र रायचंद
1/1.गंगादेवी पत्नि अजसीराम		2.शंकराराम पुत्र मीठीया
1/2.जोधाराम पुत्र अजसीराम		3.छगन पुत्र मीठीया
1/3.होती पुत्र अजसीराम		4.नरसी पुत्र मीठीया
1/4.इन्द्रा पुत्री अजसीराम		5.मगना पुत्र वीरा
1/5.समु पुत्री अजसीराम		6.पारसा पुत्र वीरा तमाम जाति
क्रम संख्या 1/3 से 1/5 नाबालिग		भांबी (मेघवाल) निवासीगण सांचोर
जरिए कुदरती वलिया माता(1/1		तहसील सांचोर जिला जालोर
गंगादेवी पत्नि अजसीराम) तमाम		7.तहसीलदार (भूमिधारी) सांचोर
जातियान कलबी निवासी बी.ढाणी		जिला जालोर
तहसील सांचोर जिला जालोर		
2.नेबाराम पुत्र नेताजी		
3.भावाराम पुत्र नेताजी		
4.वीभा पुत्र तलसा		
5.हीरा पुत्र तलसा		
6.चैना पुत्र तलसा तमाम जाति		
कलबी साकिनान बी ढाणी, तहसील		
सांचोर जिला जालोर		
7.राजी देवी पत्नि मफाराम जाति		
कलबी साकिन लालपूर तहसील		
सांचोर जिला जालोर		

प्रकरण संख्या अपील **14/2016**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1-श्री त्रिलोकचंद मेहता/श्री फरमान अली अभिभाषक अपीलान्टस

2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6

3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.03.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम बी ढाणी सांचोर के नामान्तरकरण संख्या 436 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट की ओर से पूर्व में म्यूटेशन संख्या 426 पारित दिनांक 12.12.2015 को लेकर एक अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है। जिसमें रेस्पोडेन्ट नंबर 7 को श्रीमान न्यायालय का सम्मन मिल चुका है तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 7 को

Sd/—

यह बखुबी मालुम है कि उसके द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 426 को अपीलांट ने चैलेन्ज कर रखा है तथापि गलत विवाद बढाने के लिये उक्त नया म्यूटेशन संख्या 436 रेस्पोडेन्ट 1 से 6 के हक में स्वीकार किया है जो प्रथम दृष्टया ही गलत है। क्योकि जब म्यूटेशन संख्या 426 गलत स्वीकृत होने से उसे चैलेन्ज कर रखा है तो उसकी आड में उक्त नया म्यूटेशन संख्या 436 भरा जाना का कोई औचित्य नही था बल्कि रेस्पोडेन्ट नंबर 7 ने जानबूझकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजो में परिवर्तन करने हेतु आमाद है। जिससे अपीलांट को न्याय नहीं मिल सके। राज्य सरकार के योजना के अनुसार लोक अदालत की भावना से केवल उन्ही प्रकरणो को देखना था। जिसमें पक्षकारो की आम सहमति से दोनो पक्षकार सहमत होने पर व राजीनामा पेश करने पर ही राजीनामा के अनुसार आदेश पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का गलत उपयोग किया है तथा निर्देशो के परे जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार किया है। जो गलत है। जिससे अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। म्यूटेशन संख्या 426 के कॉलम 14 में जो म्यूटेशन भरने का आधार बताया उसमें संबंधित न्यायालय के निर्णयो का उल्लेख किया है। म्यूटेशन स्वीकृत करने के समय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक मुख्यालय सांचौर के वाद संख्या 172/81 निर्णय दिनांक 03.03.1984 को होना बताया है। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.03.1984 को होना बताया है। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.12.1991 होना बताया तत्पश्चात सिविल न्यायालय सांचौर का वाद संख्या 31/2004 निर्णय दिनांक 12.10.2015 होना बताया तत्पश्चात तहसीलदार सांचौर का आदेश पत्र दिनांक 04.12.2015 की पालना में बताया उपरोक्त तमाम न्यायिक निर्णयो की पालना करने के लिये भी लिमिटेशन एक्ट में म्याद दी हुई है। सहायक जिलाधीश सांचौर प्रथम न्यायालय है। जहां वर्ष 1984 में वाद का निर्णय हुआ तत्पश्चात राजस्व अपील अधिकारी के यहां वर्ष 1991 में निर्णय हुआ। ऐसी स्थिति में सहायक जिलाधीश सांचौर के निर्णय की पालना वर्ष 1996 तक की जा सकती थी। यदि राजस्व अपील न्यायालय के निर्णय तक की तारीख सम्मिलित कर देवे तो भी वर्ष 2003 तक ही की डिक्री पालना की जा सकती थी। माफिक म्याद अधिनियम के तहत डिक्री की पालना की म्याद 12 साल से अधिक नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुये कानून से परे जाते हुये अपीलाधीन म्यूटेशन को स्वीकृत किया है जो कानूनन निरस्त करने योग्य है। क्योकि किसी भी डिक्री की पालना 12 वर्ष तक नहीं होती है तो वह डिक्री शून्य डिक्री होगी। ऐसी अवस्था में म्यूटेशन संख्या 426 को पारित करने में म्याद बाहर डिक्री की पालना की है। जिससे उक्त म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। म्यूटेशन संख्या 426 में विभिन्न निर्णयो का उल्लेख है। जिससे स्पष्ट रूप से रोषित है कि पक्षकारो के बीच विवाद है ऐसी स्थिति में म्यूटेशन संख्या 426 स्वीकृत करने के पूर्व अपीलांट को माफिक कानून नोटिस देकर सुनवाई करना आवश्यक था लेकिन अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जो न्यायिक सिद्वान्तो के विपरित है तथा सिविल न्यायालय सांचौर के निर्णय के विरूद्व अपर जिला न्यायालय भीनमाल के समक्ष अपील चल रही है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छिपाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने सिविल न्यायालय में अपील चल रही है या नहीं, इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी लेने की चेष्ठा नहीं की। उपरोक्त म्यूटेशन

SDH

न्यायालय के समक्ष चल रही अपील में दखल करने के समान है। सहायक जिलाधीश सांचौर के निर्णय के विरूद्व वर्तमान में अपील राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है और जिसमें स्थगन आदेश भी जारी हो चुका है। वाद या अपील के दौरान राजस्व रेकर्ड में तब्दीली जरिये म्यूटेशन नहीं करने बाबत राजस्व मंडल ने काफी निर्णय पारित कर रखे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का दुरूपयोग करते हुये व निर्देशो की पालना न करते हुये म्यूटेशन संख्या 426 म्यूटेशन स्वीकार किया है। जिससे अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। वाद में अपीलांट ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व व प्रथम सैटलमेन्ट के बाद भी अपीलांट के पूर्वज राणाजी के खातेदारी इन्द्राज दर्ज है तथा उक्त इन्द्राज संवंत 2021 तक नियमित रहने का भी कथन किया है तथा खातेदारी होने से कब्जा भी राणाजी का है तथा राणाजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिशान काबिज हुये तथा वर्तमान में अपीलांट काबिज है तथा उक्त कब्जा आज भी अपीलांट के पास है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के हक में हुई डिक्री की पालना में कब्जा अपीलांट से प्राप्त नहीं किया है तथा रेस्पोडेन्टस का कब्जा प्राप्ति का वाद भी अब म्याद बाहर हो चुका है लेकिन लोक अदालत में म्यूटेशन संख्या 426 स्वीकृत करने के पूर्व कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अपीलांट का कब्जा होने के उपरोक्त भी एवं अपीलांट को बेदखल करने की म्याद भी जाने की जानकारी होने के बाबजूद भी अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात करने के लिये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत किया है। जिससे निरस्त करने योग्य है तथा अपीलाधीन म्यूटेशन आड में उनकी खातेदारी बताई जा सके व उनका कब्जा बताया जा सके जबकि माफिक कानून म्यूटेशन संख्या 426 स्वीकृत करने के पूर्व कब्जे के संबंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देना चाहिये था तथा आस पास के लोगो के बयान लेने चाहिये थे। कब्जे के संबंध में आवश्यक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही उचित आदेश पारित करना न्याय संगत था। पटवारी हल्का ने सही तथ्यो को छिपाते हुये अपीलांट का कब्जा नहीं बताते हुये म्यूटेशन संख्या 426 स्वीकार करवाया है जो निरस्त करने योग्य है।पूर्व म्यूटेशन संख्या 426 मृत व्यक्ति के पक्ष में स्वीकार किया गया था और प्रारम्भ से ही शून्य है लेकिन मृत व्यक्ति के हक में म्यूटेश स्वीकार करने के पश्चात अपनी गलती को छिपाते हुये शून्य इन्द्राज को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये मीठीया व वीरा के वारिशानो के हक में अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार किया है जो उचित नही है। जब प्रथम म्यूटेशन ही शून्य है तो अपीलाधीन म्यूटेशन भी एक शून्य म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन के जरिये राजस्व रेकर्ड में नाम के इन्द्राज परिवर्तित होगे इस कारण इसे चैलेन्ज करना आवश्यक हो गया तथा उक्त म्यूटेशन राजस्व मंडल अजमेर में चल रही अपील को भी प्रभावित करेगा। जिससे उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। वादग्रस्त आराजी कभी भी रेस्पोडेन्ट की नहीं रही और जिसको लेकर ही न्यायालय में विवाद चल रहे है। गलत रूप से खातेदारी इन्द्राज करने के उद्देश्य से व नया विवाद उत्पन्न करने के लिये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार किया है। जो निरस्त योग्य है। म्यूटेशन संख्या 426 भी म्याद बाहर स्वीकार किया जिससे उक्त म्यूटेशन भी अपने आप में म्याद बाहर है। मौके पर वादग्रस्त खसरा नंबर पर अपीलांट का कब्जा है तथा रेस्पोडेन्ट काबिज नही है जिससे भी अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या 436 को निरस्त किया जावे।

Sdl—

4. रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 3 से 6 बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 436 फौतगी व हक तर्क के आधार पर खोला गया है। जो विधिवत है। उक्त हक तर्क नामा के विरूद्ध में सिविल वाद नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज आज भी प्रभाव में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौतगी व रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज हक तर्क आधार पर भरा गया है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण फौतगी व हक तर्क के आधार पर खोला गया है। जो विधिवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण फौतगी व हक तर्क के आधार पर खोला जाकर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिवत है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर